न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1572

1. हनुमान पुत्र भौंरीलाल
2. हरीसिंह पुत्र सुल्तान
   समस्त जाति मीना, निवासी भडग्यावास, तहसील सिकराय हाल बहरावण्डा, जिला दौसा।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. गन्दू पुत्र कल्याण जाति मीना, निवासी भडग्यावास, तहसील सिकराय हाल बहरावण्डा, जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सिकराय, जिला दौसा।

— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 27.08.2019 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी गन्दू बनाम राज0 सरकार मुकदमा नंबर 24/2019 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सतीश कुमार पारीक, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री सी. एल. मीना, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–19.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.08.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 21.06.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 1.4100 है0 बारानी वाके ग्राम भडग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जिसकी खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को आदेश दिये गये कि विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 1.4100 है0 बारानी वाके ग्राम भडग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा के सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2018 के आधार पर पत्थरगढी करवायी जावे तथा पुनः पत्थरगढी व सीमाज्ञान करने हेतु नायब तहसीलदार सिकराय को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया एवं मौका कमिशनर फीस 1000/– रूपये सीमाज्ञान शुल्क के अलावा होगी, जो मौका कमिशनर को देय होगी। तदानुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2019 पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 27.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट हनुमान पुत्र भौंरीलाल ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96

सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 27.08.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2019 विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उपरोक्त प्रकरण में अपीलाण्ट खसरा नंबर 83, 84 स्थित ग्राम भडग्यावास के खातेदार व काबिज काश्तकार हैं जो पडौसी खातेदार होने के कारण आवश्यक पक्षकार थे परन्तु रेस्पो० नंबर 1 ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट पेश किया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को इग्नोर कर आलोच्य आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाना अति आवश्यक व कानूनी प्रावधानों के अनुसार अत्यन्त जरूरी था परन्तु इस तथ्य पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि के लगते हुई भूमि की पत्थरगढी के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किया गया है परन्तु प्रार्थीगण अपीलाण्ट को आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नही बनाया गया तथा विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया गया। इसलिये अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना तथा अपीलाण्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। इसलिये अपीलाण्ट आलोच्य निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने के अधिकारी हैं।

अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कतई जानकारी नही थी दिनांक 14.6.2022 को पटवारी हल्का अपीलांट की भूमि पर आ गया तथा पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को बताया कि तुम्हारी भूमि पर पत्थरगढी करवाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा हो रहे हैं। इसलिये अब हम सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायेंगे। तब अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का से कहा कि बिना हमको सूचना दिये बिना ही आप पत्थरगढी कैसे करवा सकते हो अभी तक सीमाज्ञान, ही नही हुआ है और अपीलाण्ट हमको परेशान करते हैं हमारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। तो पटवारी हल्का ने कहा कि हमारे पास तो सीमाज्ञान व पत्थरगढी के आदेश हैं इसलिये हम तो पत्थरगढी करेंगे और नही करने दिया तो पुलिस इमदाद से जबरन पत्थरगढी करेंगे। तब अपीलाण्ट ने दिनांक 16.6.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर तलाश करवाया तो अपीलाण्ट को आलोच्य आदेश की जानकारी हुई तब दिनांक 16.6.2022 को ही नकल के लिये आवेदन किया जिस पर दिनांक 17.6.2022 को अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय की नकल मिली। इससे पूर्व अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश की कतई जानकारी नही थी। तब दौसा आकर वकील नियुक्त कर जानकारी से अन्दर मयाद अपील पेश है। दफा 5 कानून मयाद का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 27.08.2019 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा दिनांक 27.08.2019 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट उनवानी गन्दू बनाम राजस्थान सरकार, प्रकरण संख्या 24/2019 पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेंट गन्दू ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 का पेश कर निवेदन किया गया था कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेकाश्त की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 85 रकबा 1.4100 है0 बारानी वाके ग्राम भडग्यावास, तहसील सिकराय, जिला दौसा में स्थित है। जिसका प्रार्थी खातेदार काबिज काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार प्रार्थी का नाम अमल दरामद है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नंबर 85 रकबा 1.4100 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 16.05.2018 द्वारा दिनांक 01.06.2018 को विधिवत रूप से करा लिया। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2019 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2019 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 14.06.2022 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है,. इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के निर्णय के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। वकील रेस्पोडेन्ट ने भी बहस के दौरान कथन किया है कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हैं। दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जावे, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि —अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर